

प्रेषक

जिला विद्यालय निरीक्षक
बस्ती

सेवा में—

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या

समस्त राजकीय /अशासकीय सहायता प्राप्त /वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय
बस्ती

पत्रांक: १५३७-५३ / 2020-21

दिनांक ०५.११.२०२१

विषय —जनपद के स्कूली वच्चों तक फाउंडेशन फॉर ए स्मोक फ्री वार्ड ग्रांटी एवं अन्य तम्बाकू
कपनियों को पहुँचाने से रोकने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक शिविर /25267- 25361/
2020-2021 दिनांक 25-11-2020 द्वारा जनपद के स्कूली वच्चों तक फाउंडेशन फॉर ए स्मोक फ्री वार्ड ग्रांटी
एवं अन्य तम्बाकू कपनियों को पहुँचाने से रोकने एवं COTPA 2003 के अन्तरगत FCTC के अनुच्छेद 5.3 के
अनुपालन के सम्बन्ध में जनपद के समस्त छात्रों को जागरूक किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त क्रम में आप को निर्देशित किया जाता है कि स्कूली वच्चों तक फाउंडेशन फॉर ए स्मोक फ्री वार्ड
ग्रांटी एवं अन्य तम्बाकू कपनियों को पहुँचाने से रोकने के सम्बन्ध में अपने विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र
— छात्राओं को जागरूक कराये एवं पम्पलेट लगावाएं जिससे इसके प्रति वच्चे जागरूक हो संकें।

संलग्नक — उक्तवत

भवदीय


डॉ(बृज भूषण मौर्य)
जिला विद्यालय निरीक्षक
बस्ती २

पत्रांक: / 2020-21

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई—मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महानिदेशक, विकित्सा एवं रवास्था सेवाएँ, उ० प्र० को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. राज्य नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ
4. जिलाधिकारी महोदय बस्ती।
5. उत्तर प्रदेश वालेंटरी हेल्प एसोसिएशन UPVHA लखनऊ।

6- मुद्रपंचिकित्सा अधिकारी - कर्ती


जिला विद्यालय निरीक्षक
बस्ती